हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

सं०: होम-बी(ए)३-२/२००६ तारीख शिमला-२, 11 जनवरी, २००७

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, महाधिवक्ता कार्यालय, हिमाचल प्रदेश में निजी सचिव, वर्ग-१,(राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय, निजी सचिव, वर्ग-१ (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, २००७ हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें ।

आदेश द्वारा,

एस०विजय कुमार
प्रधान सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

10-1-07
EA
11/1/07

पृष्ठांकन संख्या: होम-बी(ए)३-२/२००६ तारीख शिमला-२, 11 जनवरी, २००७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

१. प्रशासनिक सचिव,कार्मिक /वित्त/विधि हिमाचल प्रदेश सरकार ।
२. सचिव, लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००२.
३. महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००१ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह उक्त भर्ती एवं प्रोन्नति नियम की प्रतियां राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन विभाग से प्राप्त करें तथा १० प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करें ।
४. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन विभाग,शिमला १७१००५ से अनुरोध है कि उक्त नियमों को राजपत्र में प्रकाशित करें ।
५. सहायक, विधि परामर्शी एवम् अवर सचिव, (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२

संयुक्त सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

महाधिवक्ता कार्यालय, हिमाचल प्रदेश, में निजी सचिव वर्ग–1(राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम :	निजी सचिव
2.	पद /पदों की संख्या :	1 (एक)
3.	वर्गीकरण :	वर्ग–१ (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)
4.	वेतनमान :	7220–220–8100–275 –10300–340–11660 रुपये
5.	चयन पद अथवा अचयन पद :	अचयन ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं । वांछनीय अर्हता(एं) : लागू नहीं ।
8.	क्या सीधी भर्ती (यों) किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों की दशा में लागू होगी :	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हता : लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10 भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11 प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जायेगा:	निजी सहायकों में से जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा,यदि कोई हो,को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुर्क्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने– अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम पांच वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी, ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्वक सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोरसिज परसोनल (रिर्जवेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिर्जवेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना :	जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाये ।
13	परिस्थितियां जिनमें हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श लिया जाना है :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं ।

15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं ।
16	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी ।
17	विभागीय परीक्षा :	सेवा में प्रत्येक सदस्य को, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

(Authoritative English text of this Department Notification No. Home-B (A) 3-2/2006 dated 4-1-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh

Home Department

No. Home-B (A) 3-2/2006 Dated, Shimla-2 the 4th January, 2007.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Private Secretary (Class-I, Gazetted) in the office of Advocate General, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification namely;-

Short title and commencement.

1. (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Advocate General office, Private Secretary (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the *Rajpatra Himachal Pradesh*.

By Order

S. Vijay Kumar
Principal Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above Dated Shimla-2, the 4th January, 2007.

Copy is forwarded to:

1. The Administrative Secretaries Personnel, Finance & Law, Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary, Public Service Commission, H.P. Shimla-2.
3. The Advocate General, H.P. Shimla-171001. He is requested to obtain the copies of the Rajpatra of said Rules from the Controller, Printing & Stationary and 10 copies of Rajpatra may he send to this department.
4. The Controller, Printing & Stationary, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
5. The Assistant Legal Remembrancer-cum Under Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.

Joint Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh

99

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY (CLASS-I, GAZETTED) IN THE OFFICE OF ADVOCATE GENERAL, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of the post:	Private Secretary.
2	Number of post(s):	1 (one).
3.	Classification:	(Class-I,Gazetted)(Ministerial Services).
4.	Scale of pay:	Rs.7220-220-8100-275-10300-340-11660.
5.	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post:	Non-Selection.
6.	Age for direct recruitment :	Not applicable.
7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):	Essential Qualification(s): Not applicable. Desirable Qualification(s): Not applicable.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):	Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.
9.	Period of probation, if any:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100 % by promotion.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made:	By promotion from amongst the Personal Assistants who possess five years regular services or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade. (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that: In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to

above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast five years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be indigible for consideration for such promotion.

<u>Explanation:</u> The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for the consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefits of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-

	serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. 2. Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules. Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment:	As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment:	Not applicable.

-31-

15.	Selection for appointment to post by direct recruitment:	Not applicable.
16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination:	Every member of the service shall pass Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997.
18.	Powers to relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

****